छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कल्यानपुर कानपुर- २०८०२४

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक १०.९.९९ को सायं ५.०० बजे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया -

१.	प्रो० के०बी०पाण्डेय,	कुलपति,	अध्यक्ष
२.	डा० ई०एच०कुरैशी,	अधिष्ठाता आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय,	सदस्य
३.	डा० एम०पी० गुप्ता	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय,	सदस्य
४.	प्रो० एल०सी०मिश्रा,	आचार्य, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजेएम विश्वविद्यालय,	सदस्य
५.	डा.(श्रीमती) मृदुला भदौरिया	उपाचार्य, शिक्षा विभाग, सीएसजेएम विश्वविद्यालय	सदस्य
६.	डा० निरंजन सिंह,	प्राचार्य ब्रह्मावर्त डिग्री कालेज, मन्धना,	सदस्य
७.	डा० ब्रह्मवीर निषाद,	प्राचार्य, भीमराव अम्बेदकर महाविद्यालय, उंचाहार,	सदस्य
८.	डा० रंजीत किशोर मिश्र,	प्रवक्ता, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजेएम विश्वविद्यालय,	सदस्य
९.	डा० सरोज बहादुर सक्सेना,	भूगोल विभाग, डी०ए०वी०कालेज, कानपुर	सदस्य
१०.	डा० देवर्षि शर्मा,	अंग्रेजी विभाग, डी०ए०वी०कालेज, कानपुर,	सदस्य
११.	डा० एस० के० सिंह	प्रास्थोन्डाटिक्स विभाग, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ	सदस्य
१२.	श्री जे०एन०रैना,	वित्त अधिकारी,	पदेन सदस्य
१३.	श्री बी०के०पाण्डेय,	कुलसचिव,	सचिव

कार्य-विवरण

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

कार्य परिषद् ने विचारणीय मदों पर निम्नलिखित निर्णय लिया -

१. विगत कार्य परिषद् की बैठक दिनांक २३-०५-९९ तथा दिनांक २०-०८-९९ के कार्य वृत्त की पुष्टि पर विचार - कार्य परिषद् ने अपनी विगत बैठक दिनांक २३-०५-९९ तथा दिनांक २०-०८-९९ में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन से अवगत होते हुए उनके कार्यवृत्त का सुम्पुष्टीकरण किया।

२. दिनांक २९ अगस्त १९९९ को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार- परिषद् पटल पर रखे गये विद्या परिषद की संस्तुतियों/निर्णयों पर विचार विमर्श के पश्चात कार्य परिषद् ने निम्नलिखित संशोधनों सहित अनुमोदित करने का निर्णय लिया -

(i) मद संख्या १५ में लिये गये निर्णय के द्वितीय पंक्ति में "आन्तरिक परीक्षकों द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाय" के स्थान पंर "आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाय" पढ़ा जाय।

(ii) मद संख्या १७ में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि प्राचार्यगण, शिक्षकगण एवं छात्रों से विचार-विमर्श के बाद जब तक इसे लागू करने लायक परिस्थिति न बन जाय तब तक इसे स्थगित रखा जाय।

३. दिनांक २०-०७-९९ तथा दिनांक १०-०९-९९ को सम्पन्न वित्त समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार- कार्य परिषद् ने दिनांक २०-०७-९९ तथा दिनांक १०-०९-९९ को सम्पन्न वित्त समिति की संस्तुतियों को सर्व सम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

४. शोध उपाधि के लिए मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा समिति की बैठक दिनांक २५-०७-९९ एवं २०-०८-९९ में लिये गये निर्णयों द्वारा योग्य घोषित शोधार्थियों को उपाधि से अलंकृत किये जाने की संस्तुति पर विचार-

शोध उपाधि के लिए मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक २५-०७-९९ द्वारा ६० तथा दिनांक २०-०८-९९ द्वारा १३ , कुल ७३ योग्य घोषित शोधार्थियों को शोध उपाधि से अलंकृत करने के निर्णय को कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

५. विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबन्ध संस्थान में अस्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार-

उ०प्र० शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-४ ने अपने पत्रांक १८४०/७-४/९९-४०(२)/९२ दिनांक ०६-०८-९९ द्वारा विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबन्ध संस्थान में दिनांक १ जनवरी, १९९९ से आचार्य-१, प्रवक्ता-१, टंकक-१ तथा चपरासी-१ कुल ४ पदों का स्थायीकरण किया है। उक्त के अतिरिक्त इस संस्थान में आचार्य का एक पद पूर्व से ही स्थायी रूप से सृजित है।

उपरोक्त पदों के समक्ष अस्थायी रूप से कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक ०१-०१-९९ से स्थायी करने हेतु कार्य परिषद् ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया -

१-प्रो० राकेश चन्द्र कटियार	- आचार्य
२-प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव	- आचार्य
३-श्री सुदेश कुमार श्रीवास्तव	- प्रवक्ता
४-श्री श्रीपाल मौर्य	- टंकक
५-श्री शिव कुमार त्रिपाठी	- चपरासी

६- उत्तम शैक्षणिक अभिलेख परिभाषित करने पर विचार -

उ०प्र० उच्च शिक्षा आयोग के पत्रांक उ०शि०आयोग/३५८७-३६१२/१९९९-२००० दिनांक १८-०६-९९ के सन्दर्भ में कार्यपरिषद् ने उत्तम शैक्षणिक अभिलेख परिभाषित करने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

७- शिक्षकों के पारिश्रमिक अधिकतम रू० १२०००/- वार्षिक करने हेतु परिनियम में यथा स्थान संशोधन करने पर विचार -

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि यह प्रस्ताव वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

८- शिक्षको के पारस्परिक एकल स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को संसूचित किये जाने पर विचार -

कार्य परिषद् की दिनांक २३-०८-९९ को सम्पन्न बैठक के मद संख्या १८(४) में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को संसूचित किया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को पारस्परिक/एकल स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के CHAPTER-XVII PART III में १८.२.०१ से १८.२.१७ तक में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

८(क) नवीन महाविद्यालयों की सम्बद्धता की स्थिति पर विचार -

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य परिषद को संसूचित किया गया कि कुल २६ नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें शासन को प्रेषित किया गया, जिनमें से ८ की क्लीयरेन्स शासन से प्राप्त हो गयी है ।

८(ख) विश्वविद्यालय के शिक्षेणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान से वेतनमान में आधार पर निर्धारण करने पर विचार -

अध्यक्ष की अनुमति से विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान से वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण का प्रकरण उठाया गया जिस पर कार्य परिषद् ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि कार्य परिषद् को वित्तीय अधिकार नहीं है अतः प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

८(ग) प्रस्तावित महाविद्यालयों के निरीक्षण शुल्क में वृद्धि पर विचार -

अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव आया कि प्रस्तावित महाविद्यालयों के निरीक्षण शुल्क में वृद्धि कर निरीक्षण दल के यात्रा भत्ता का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय जिससे कि निरीक्षण दल अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से सम्पन्न कर सके। कार्य परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया।

८(घ) कार्य परिषद् की बैठक दिनांक २३-०८-६८ के मद संख्या-११ में लिये गये निर्णय में शब्द पुर्ननियुक्ति के स्थान पर सेवा विस्तरण प्रतिस्थापित करने पर विचार -

अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रस्ताव आया कि कार्य परिषद् की बैठक दिनांक २३-०८-६८ के मद् संख्या-११ में लिये गये निर्णय में शब्द पुनर्नियुक्ति के स्थान पर शब्द ''सेवा विस्तरण'' पढ़ा जाय । कार्य परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

अन्त में कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(बी०के०पाण्डेय)
कुलसचिव एवं सचिव

(प्रो० के०बी० पाण्डेय)
कुलपति एवं अध्यक्ष